



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112025-267570
CG-DL-E-11112025-267570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 747]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947

No. 747]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2025

सा. का. नि. 833(अ).—केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अंतिम परीक्षा) नियम, 2023 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अंतिम परीक्षा) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीन अंतिम परीक्षा) नियम, 2023 में नियम 3 के उपनियम (1) में, अनिवार्य आंतरिक विषयों से संबंधित भाग-1 की, सारणी में,-

(क) पेपर I से संबंधित प्रविष्टि में, “भारतीय दंड संहिता, 1860” शब्दों और अंकों के स्थान पर “भारतीय न्याय संहिता, 2023” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) पेपर II से संबंधित प्रविष्टि में, “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872” शब्दों और अंकों के स्थान पर “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ग) पेपर III से संबंधित प्रविष्टि में, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973” शब्दों और अंकों के स्थान पर “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 11058/01/2025-अभासे-III]

कविता चौहान, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 377 (अ), तारीख 19 मई, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2025

G.S.R. 833(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Service Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following rules to amend the Indian Police Service (Probationers' Final Examination) Rules, 2023, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Indian Police Service (Probationers' Final Examination) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Probationers' Final Examination) Rules, 2023, in rule 3, in sub-rule (1), in Part-I relating to Compulsory Indoor Subjects, in the Table,-

(a) against the entry relating to Paper I, for the words and figures "Indian Penal Code, 1860", the words and figures "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023" shall be substituted;

(b) against the entry relating to Paper II, for the words and figures "Indian Evidence Act, 1872", the words and figures "Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023" shall be substituted;

(c) against the entry relating to Paper III, for the words and figures "Code of Criminal Procedure, 1973", the words and figures "Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023" shall be substituted.

[F. No. 11058/01/2025-AIS-III]

KAVITA CHAUHAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 377 (E), dated the 19th May, 2023.